**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 13066/2020

Dr Jitendra Singh S/o Late Sh Mahendra Singh

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ajatshatru Mina,
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE SATISH KUMAR SHARMA

Order

04/11/2020

विद्वान अधिवक्ता याची को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याची की दलीलें हैं कि याची की प्रथम नियुक्ति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में दिनांक 05.06.1996 को हुई, जहॉ उसने दिनांक 14.03.2007 तक सेवायें दीं। बाद में विभिन्न विश्वविद्यालयों के समामेलन की प्रक्रिया सम्पन्न हुई। वर्तमान में याची कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के अधीन वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। इस तरह पुराना कर्मचारी होते हुए भी आलोच्य आदेश दिनांक 02.09.2020 द्वारा याची का मासिक वेतन New Contirbutory Pension Scheme (NCPS) के अन्तर्गत दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं और याची द्वारा Permanent Retirement Account Number (PRAN) लिये जाने तक उसका वेतन भी रोक दिया गया है।

याची को माह सितम्बर, 2020 से वेतन नहीं मिल पाया है। याची नया कर्मचारी नहीं है, बल्कि वर्ष 1996 से कार्यरत है। यह आदेश याची को सुनवाई का अवसर दिये बिना जारी किया गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के सृजन व समामेलन के दौरान जारी आदेशों के विपरीत है। याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

याचिका एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस अयाचीगण को दो सप्ताह में वापसी योग्य जारी किये जायें।

मामले की परिस्थितियों में अयाचीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे याची को माह सितम्बर व अक्टूबर, 2020 के देय वेतन का भुगतान माह अगस्त, 2020 के वेतन भुगतान की प्रक्रिया के तहत करें।

पत्रावली दिनांक 23.11.2020 को सूचीबद्ध की जाए।

(SATISH KUMAR SHARMA),J

Pradeep Thawani /131